न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 32/2024

अपीलांट्स –

1. नरपतसिंह गोदपुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी नाईयों का वास, तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. अर्जुनसिंह पुत्र पर्बतसिंह
3. असत कंवर पत्नी खूमानसिंह
4. उगमसिंह पुत्र रिड़मलसिंह
5. कैलाश कंवर पत्नी मदनसिंह
6. कुवर कंवर पत्नी रिड़मलसिंह
7. कंवरो कंवर पत्नी देवीसिंह
8. गुमानसिंह पुत्र आसकरणसिंह
9. गुलाब कंवर पत्नी वीरसिंह
10. गुलाबसिंह पुत्र रिड़मलसिंह
11. चुतरसिंह पुत्र देवीसिंह
12. चैनसिंह पुत्र जालमसिंह
13. धनसिंह पुत्र पदमसिंह
14. नारायणसिंह पुत्र रिड़मलसिंह
15. पुरसिंह पुत्र पदमसिंह
16. बनेसिंह पुत्र रतनसिंह
17. बालसिंह पुत्र आसकरणसिंह
18. बालसिंह पुत्र रिड़मलसिंह
19. भवानीसिंह पुत्र खुमानसिंह
20. भाखरसिंह पुत्र रिड़मलसिंह
21. मु. जीकंवर पत्नी पदमसिंह
22. मु. मोरकंवर पत्नी कमलसिंह
23. मु. लेहरकंवर पत्नी आसकरणसिंह
24. मेवसिंह पुत्र कमलसिंह
25. महिपालसिंह पुत्र खुमानसिंह
26. मोहनसिंह पुत्र आसकरणसिंह
27. मोहनसिंह पुत्र तनसिंह
28. [illegible]र पत्नी पवनकुमारसिंह
29. [illegible] मुकनसिंह
30. [illegible]तसिंह पुत्र वीरसिंह
31. [illegible]सिंह पुत्र थानसिंह
32. विशनसिंह पुत्र सबलसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:17:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

33. विश्वप्रतापसिंह पुत्र मदनसिंह
34. शक्तिसिंह पुत्र कमलसिंह
35. शैतानसिंह पुत्र तनसिंह
36. शिवसिंह पुत्र पदमसिंह
37. शिवसिंह पुत्र जेठमालसिंह
38. सुगनसिंह पुत्र वीरसिंह
39. सुरेन्द्रसिंह पुत्र जालमसिंह
40. स्वरूपसिंह पुत्र मदनसिंह
41. सालमसिंह पुत्र रिड़मलसिंह
42. हड़मसिंह पुत्र रेवन्तसिंह
43. हेमसिंह पुत्र सबलसिंह
44. हितेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह जातियान – राजपूत, निवासीयान–बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर
45. आयुक्त महोदय नगर परिषद् बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 4315 दिनांक 08.02.2024 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सवाईसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री उपेन्द्रसिंह राठौड़, रेस्पोडेंट सं. 3से6, 8, 10, 12से15, 17से20, 23से28, 30, 33 एवं 35से44 की ओर से उपस्थित।
3. अवशेष रेस्पोडेंट्स नोटिस तामील बावजूद अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 18.12.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम बाड़मेर शहर, तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 4315 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम बाड़मेर शहर के खसरा संख्या 3142 / 1574 कुल रकबा 5–2245 हैक्टेयर भूमि सहखातेदारान तेजसिंह पुत्र थानसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:17:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदारान तेजसिंह के फौत होने के बाद उनके गोदपुत्र नरपतसिंह के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा निर्णय कर अंकित कि उक्त नामान्तरकरण में दत्तक पुत्र से संबंध भरें। अपीलांट ने उक्त नामान्तरकरण को अस्वीकार करने पर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील में मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रकट किया कि अपीलांट स्वर्गीय तेजसिंह का गोदपुत्र हैं तथा तेजसिंह के कोई जीवित संतान नहीं होने के कारण अपने जीवनकाल में अपीलांट को गोद ले लिया था। अपीलांट का आराजी भूमि में तेजसिंह के स्वर्गवास के बाद से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। उक्त विवादित भूमि के अलावा अन्य खसरों की भूमि के नामान्तरकरण पारित कर दिये गये किन्तु हस्तगत नामान्तरकरण बिना किसी आधार अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व उतरदाता संख्या 1 द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया इस कारण अपीलांट को पूर्व में इस नामान्तरकरण का कोई ज्ञान नहीं था। कुछ अर्सा पूर्व जब अपीलांट द्वारा ऑनलाईन जमाबंदी की प्रति प्राप्त की तो नामान्तरकरण खारिज होने की जानकारी हुई। जिस पर अपीलांट ने उक्त नामान्तकरण की नकले मांगी जो नकल दिनांक 06.07.2024 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी ... अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ... में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ–पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:17:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भी निवेदन किया है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 4315 दिनांक 08.02.2024 स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट्स की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील के तथ्यों की ताईद की गई। अधिवक्ता रेस्पो. दौरान सुनवाई अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने बाबत अनापति जाहिर की गई।

6. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा बाड़मेर शहर के खसरा संख्या 3142/1574 कुल रकबा 5–2245 हैक्टेयर भूमि सहखातेदारान तेजसिंह पुत्र थानसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खातेदारान तेजसिंह के फौत होने के बाद उनके गोदपुत्र नरपतसिंह के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा निर्णय कर अंकित कि उक्त नामान्तरकरण में दत्तक पुत्र से संबंध भरें। अपीलांट ने उक्त नामान्तरकरण को अस्वीकार करने पर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.07.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट तेजसिंह का गोदपुत्र हैं तथा तेजसिंह के कोई जीवित संतान नहीं होने के कारण अपने जीवनकाल में अपीलांट को गोद ले लिया था। अपीलांट का आराजी भूमि में तेजसिंह के स्वर्गवास के बाद से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। स्व0 तेजसिंह की खातेदारी के अन्य समस्त खेतों का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत हो चुके हैं, केवल अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया हैं। रेस्पोडेंट्स की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील की ताईद की गई। अधिवक्ता रेस्पो. ने भी दौरान सुनवाई अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने बाबत अनापति जाहिर की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:17:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकृत करने से पूर्व तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच किये बिना ही अपूर्ण आदेश दिनांक 08.02.2024 पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा बाड़मेर शहर के नामान्तरकरण सं. 4315 पर पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि मृतक खातेदार तेजसिंह के विधिक वारीसान की जांच एवं उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करें।

8. निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:17:43 IST
Reason: SelfAttested